

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 444 सन 2020

अनवान :-

1. हनुमानसिंह पुत्र श्योकरणसिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मदनसिंह पुत्र श्योकरणसिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर।
2. छगनकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर।
3. चन्दा कंवर पत्नी श्योकरण सिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर।
4. मनोहर कंवर पुत्री श्योकरण सिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर।
5. राजू कंवर पुत्री श्योकरण सिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर।
6. मगनकवर पुत्री श्योकरण सिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर।
7. संगन कंवर पुत्री श्योकरण सिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर।
8. विधा कंवर पुत्री श्योकरण जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर।
9. गोमती कंवर पुत्री श्योकरण जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर।
10. महावीर पुत्र लिछमण कंवर जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर।
11. शिशपाल पुत्र लिछमण कंवर जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर।
12. विमला कंवर पुत्री लिछमण कंवर जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर।
13. राधा कंवर पुत्री लिछमण कंवर जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 11/02/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 99/97 की कुल 24.3540 हैक् भूमि में से सयुक्त तौर से 573 हिस्सा श्योकरण पुत्र गंगाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

श्योकरण पुत्र गंगाराम एवं उनकी पत्नी चन्दाकंवर का देहान्त हो चुका है श्योकरण पुत्र गंगाराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिसमें से पुत्र भंवरसिंह एवं पुत्री लिछमा का देहान्त हो चुका है इस प्रकार श्योकरण पुत्र गंगाराम एवं उसकी वारिसान के फोट होने पर शेष वारीसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 है जो श्योकरण पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 वादी की बहने है एवं श्योकरण पुत्र गंगाराम की पुत्रीया एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 श्योकरण पुत्र गंगाराम की पुत्री लिछमण कंवर के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की श्योकरण पुत्र गंगाराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

शु

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्योकरण पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज है श्योकरण पुत्र गंगाराम एवं उनकी पत्नी चन्दाकंवर का देहान्त हो चुका है श्योकरण पुत्र गंगाराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिसमें से पुत्र भंवरसिह एवं पुत्री लिछमा का देहान्त हो चुका है इस प्रकार श्योकरण पुत्र गंगाराम एवं उसकी वारिसान के फौत होने पर शेष वारीसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 है जो श्योकरण पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 14 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 99/97 की कुल 24.3540 हैक् भूमि में से सयुक्त तौर से 573 हिस्सा श्योकरण पुत्र गंगाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

श्योकरण पुत्र गंगाराम एवं उनकी पत्नी चन्दाकंवर का देहान्त हो चुका है श्योकरण पुत्र गंगाराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिसमें से पुत्र भंवरसिह एवं पुत्री लिछमा का देहान्त हो चुका है इस प्रकार श्योकरण पुत्र गंगाराम एवं उसकी वारिसान के फौत होने पर शेष वारीसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 है जो श्योकरण पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 वादी की बहने है एवं श्योकरण पुत्र गंगाराम की पुत्रीया एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 श्योकरण पुत्र गंगाराम की पुत्री लिछमण कंवर के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 99/97 की कुल 24.3540 हैक् भूमि में से सयुक्त तौर से 573 हिस्सा श्योकरण पुत्र गंगाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।




प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार श्योकरण पुत्र गंगाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है श्योकरण पुत्र गंगाराम एवं उनकी पत्नी चन्दाकंवर का देहान्त हो चुका है श्योकरण पुत्र गंगाराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिसमें से पुत्र भंवरसिंह एवं पुत्री लिछमा का देहान्त हो चुका है इस प्रकार श्योकरण पुत्र गंगाराम एवं उसकी वारिसान के फोट होने पर शेष वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 है जो मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है अर्थात श्योकरण पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 99/97 की कुल 24.3540 हैक् भूमि में से सयुक्त तौर से 573 हिस्सा श्योकरण पुत्र गंगाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. हनुमानसिंह पुत्र श्योकरणसिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. मदनसिंह पुत्र श्योकरणसिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर ।
2. छगनकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर ।
3. चन्दा कंवर पत्नी श्योकरण सिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर ।
4. मनोहर कंवर पुत्री श्योकरण सिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर ।
5. राजू कंवर पुत्री श्योकरण सिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर ।
6. मगनकवर पुत्री श्योकरण सिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर ।
7. संगन कंवर पुत्री श्योकरण सिंह जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर ।
8. विधा कंवर पुत्री श्योकरण जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर ।
9. गोमती कंवर पुत्री श्योकरण जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर ।
10. महावीर पुत्र लिछमण कंवर जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर ।
11. शिशपाल पुत्र लिछमण कंवर जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर ।
12. विमला कंवर पुत्री लिछमण कंवर जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर ।
13. राधा कंवर पुत्री लिछमण कंवर जाति राजपूत निवासी खोपडा तहसील नोहर ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 444 सन 2020 निर्णय दिनांक- 11/02/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 99/97 की कुल 24.3540 हैक्ठ भूमि में से सयुक्त तौर से 573 हिस्सा श्योकरण पुत्र गंगाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)